305 (10) लोक उद्यमों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं के संबंध में हिंदी में विवरण देना

उपर्युक्त विषय पर मुझे राजभाषा विभाग के 27 फरवरी, 1976 के का.ज्ञा.सं. 140011/1/76 रा.भा. (क–1) का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उद्यमों द्वारा विनिर्मित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के संबंध में विवरण के वल अंग्रेजी में ही दिया जा रहा है जो कि राजभाषा नीति के विरूद्ध है।

2. इस मामले पर हाल ही में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में विचार–विमार्श किया गया और यह सिफारिश की ई कि सरकारी उद्यमों को उनके द्वारा विनिर्मित सभी वस्तुओं/मदों पर अंग्रेजी के साथ–साथ हिंदी में भी विवरण देना चाहिए।

3. अतः सरकारी उद्यमों से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय को सूचित करते हुए नियंत्रणाधीन सरकारी उद्यमों को उपर्युक्त विषय पर आवश्यक आदेश जारी करें।

(बी पी आई का 9 मई, 1989 का का.ज्ञा.सं. 16/11/89–जी एम)